संख्याः– /XIV–1/2017–5(11)/2011

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 05 अक्टूबर, 2017

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या–3743/नियो0/आई0सी0डी0पी0–रूद्रप्रयाग/2017–18 दिनांक 05 अगस्त, 2017 एवं पत्र संख्या–1558/मा0से0/आई0सी0डी0पी0–रूद्रप्रयाग/2017–18 दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, रूद्रप्रयाग के कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में **₹86,50,000/–(₹छियायी लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को की जाएगी तथा उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित परियोजना को उपलब्ध करायी जायेगी। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः–

(1) व्यय के संबंध में वित्त विभाग के आदेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017, संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के उपयोग की मदवार/लक्ष्यवार अद्यतन वित्तीय भौतिक प्रगति से शासन को त्रैमासिक रूप से अवगत कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी ऋणों की प्रतिपूर्ति हो जाए और उसे कोषागार के संगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा करा दिया जाए।

(3) स्वीकृत अंशपूंजी, ऋण एवं अनुदान की धनराशि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मूल

2. इस शासनादेश के प्रस्तर–1 में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपकमों में तैनात, वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

3. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में सहकारिता विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षकों के नामे डाला जायेगा:–

अनुदान सं0–18 (धनराशि ₹ में)

लेखाशीर्षक	स्वीकृत धनराशि
2425–सहकारिता–राजस्व–00–800–अन्य व्यय 04–एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00–20–सहायक अनुदान/अशदान/राज सहायता	42,45,000.00
4425–सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय–पूंजीगत 00–200–अन्य निवेश 03–समितियों की अंशपूंजी में विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00–30–निवेश/ऋण	41,53,000.00
6425– सहकारिता के लिए कर्ज–पूंजीगत 00–800–अन्य कर्ज 04–एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00–30–निवेश/ऋण	2,52,000.00
योग (₹छियासठ लाख पचास हजार मात्र)	86,50,000.00

3– ये आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017, संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा दिए गये विस्तृत दिशा निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>**संलग्नक–आई0डी0 मूल में।**</u>

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्याः–1269 (1)/XIV–1/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. प्रबन्ध निदेशक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4–सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली को उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति किए जाने सम्बन्धी अनुरोध सहित।
3. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।